Neutral Citation No. - 2026: AHC:4405

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 41760 सन् 2025

रोहताश ...**आवेदक(गण)**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**प्रत्यर्थी**

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अखिलेश त्रिपाठी, आर.बी. सिंह परमार, राम शंकर मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : -शासकीय अधिवक्ता

<u>न्यायालय संख्या - 68</u>

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेन्द्र कुमार, को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 214 वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 की धारा 2/3, थाना कपूरपुर, जिला हापुड़, में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में किसी अनुचित उद्देश्य से मिथ्या रूप से फँसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न गिरोह-चार्ट में एक आपराधिक प्रकरण दर्शाया गया है और उस प्रकरण में आवेदक जमानत पर है।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में उल्लिखित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहायता नहीं की है। उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 27.10.2025 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाए तो वह उसकी छूट का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की भारी लंबितता के कारण विचारण के किसी शीघ्र समाप्ति की संभावना नहीं है।

6. इसके विपरीत, विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण नहीं बताया है।

7. तथ्यों की समग्रता, अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने का उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन ***स्वीकार*** किया जाता है।

8. अभियुक्त-आवेदक, ***रोहताश***, को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक (i) प्रकरण के प्रारंभ, (ii) आरोप-निर्धारण, और (iii) सीआरपीसी. की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचार न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र देगा कि साक्षियों की उपस्थिति में साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचार न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण तक सीमित है और किसी भी रूप में प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचार न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सम्पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पीपी

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।